(59)

43
15.8.15

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर रीवा

सर्किट कोर्ट रीवा म0प्र0

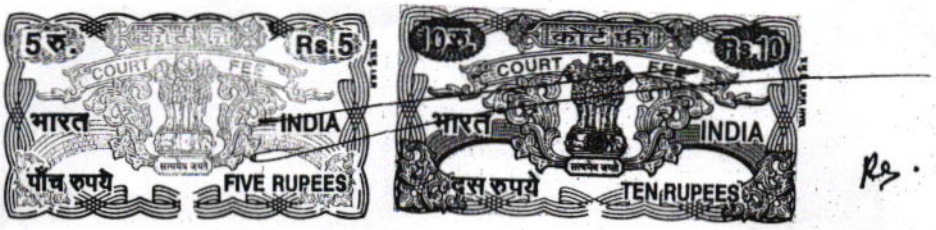

R-5005-II/15

1— चन्द्रिका प्रसाद अग्निहोत्री } दोनो के पिता रामकुमार अग्निहोत्री

2— अंगद प्रसाद अग्निहोत्री } ग्राम हिरौल तह0 हुजूर, जिला रीवा म0प्र0

—————आवेदकगण

बनाम्

1— रामखेलावन तनय रामकुमार अग्निहोत्री

2— वामनाचार्य तनय रामकुमार अग्निहोत्री

3— सुरेश कुमार तनय चंद्रशेखर प्रसाद ब्रा0

सभी निवासी ग्राम हिरौल तह0 हुजूर, जिला रीवा म0प्र0

———— अनावेदकगण

श्री. अजीत कुमार सोनी एड के द्वारा आज दिनांक 25-8-15 को प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरूद्ध व निर्णय श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय रीवा रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 910/अपील/13—14 में पारित आदेश दिनांक 4/8/15

अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

प्रकरण के तथ्य :—

यह कि अनावेदक कमांक 01 व 2 ने विचारण न्यायालय तहसीलदार तह0 गुढ़ जिला रीवा के समक्ष प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2 रीवा के व्यवहार वाद कमांक 89ए/75 व प्रथम अपर जिला न्यायाधीश रीवा म0प्र0 व्यवहार अपील कमांक 3अ/79 में पारित आदेश कमांक दिनांक 31/01/79 व डिक्री दिनाक 31/01/79 तथा दिनांक 06/08/79 व डिक्री दिनांक

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 5005–दो/2015 ज़िला–रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17–8–16	आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री जयप्रकाश सिंह उपस्थित । अनावेदक क्र0 1 की ओर से श्री प्रदीप त्रिपाठी उपस्थित । 2/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के प्र0क्र0 910/अपील/13–14 में पारित आदेश दिनांक 04.08.2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा–50 के अंतर्गत निगरानी प्रस्तुत की गई है । 3/ उभयपक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक अधिवक्ता ने अपने तर्कों पर में वही तर्क दौहराये, जो निगरानी मेमो में अंकित है। इसलिये इस तर्क को दुबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं। 4/ आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया। निगरानी मेमो एवं उसके संलग्न आक्षेपित सीमांकन आदेश दिनांक 20–05–2016 सहित संलग्न आवश्यक अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों का अवलोकन किया। अजियरिया के द्वारा वादग्रस्त भूमि को जरिये पंजीकृत दस्तावेज के द्वारा अनावेदकगण के पिता रामकुमार को विक्री किया गया था। वादग्रस्त भूमि बिक्री करने के बाद भी खसरे में उजियरिया का नाम दर्ज होता था । लेकिन मौके पर वादग्रस्त भूमि	

पर राजकुमार का कब्जा था । राजकुमार के द्वारा अपने जीवनकाल में ही अपने वारिसों के मध्य अपनी भूमि का विभाजन किया गया था । लेकिन तैयार की गई पुल्ली में प्रश्नाधीन भूमि का उल्लेख नहीं किया गया था । क्यांकि मृतक राजकुमार के द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का वसीयतनामा अनावेदक क्र0 1 व 2 के हक में गवाहों के समक्ष निष्पादन कराया था । यह बात अधीनस्थ न्यायालय के संज्ञान में लाई गई थी । लेकिन अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा राजकुमार के द्वारा निष्पादित वसीयतनामा को प्रमाणति करने के संबंध में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई है । राजकुमार के द्वारा वादग्रस्त/प्रश्नाधीन भूमि को अनावेदक को दे दिया गया था । इसलिये पुल्ली में उक्त भूमि का उल्लेख नहीं है । तैयार पुल्ली में आवेदक क्र0 1 2 के भी हस्ताक्षर बने है । स्पष्ट है कि राजकुमार के द्वारा तैयार कराई गई पुल्ली से रामकुमार के सभी वारिस सहमत थे । आवेदक का कहना है कि रामकुमार का सजरा खानदान गलत प्रस्तुत किया गया था । राजकुमार के चार पुत्र थे । आवेदक के द्वारा राजकुमारँ के पुत्रों को बताया गया है लेकिन राजकुमार की वारिस पुत्रियों के नाम उल्लेख नहीं किया गया है । जबकि रामकुमार की सम्पत्ति पर उनका भी हक व हिस्सा होता है । स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि गुजरतिया के नाम खसरे में अंकित थी। गुजरतिया ने विक्रय कर दिया था । क्रेता राजकुमार के द्वारा वसीयत के आधार पर वादग्रस्त भूमि अनावेदक क्र1 व 2 को दी थी । लेकिन उजियरिया का नाम अंकित होन के कारण अनावेदक के द्वारा उजियरिया को पक्षकार बनाकर तहसीलदार के न्यायालय में अपर जिला न्यायाधीश रीवा के प्रकरण क्रमांक 3ए/79 आदेश दिनांक 06.06.79 के आधार पर आवेदन पेश किया गया

था । तहसीलदार के द्वारा विधिवत इश्तहार का प्रकाशन कराकर पटवारी प्रतिवेदन, स्थल पंचनामा मंगाकर मौके एवं अभिलेख की स्थिति के अनुसार साक्षियों के कथन लेकर विधि सम्मत आदेश पारित करते हुये गुजरतिया के स्थान पर अनावेदक क्र0 1 व 2 के नाम नामांतरण स्वीकृत किया गया था । अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा इस बात पर विचार नहीं किया गया कि वादग्रस्त भूमि की भूमिस्वामी उजियरिया थी। तहसीलदार के द्वारा उजियरिया के स्थान पर अनावेदक का नाम दर्ज करने का आदेश पारित किया गया है । उजिरिया के भूमि पर आवेदक क्र0 1 व 2 का कोई हक हिस्सा नहीं था, फिर भी अगर आवेदक को यह प्रतीत होता है कि उसका हक व हिस्सा था तो उसे अपने हक व हिस्सा को साबित करने हेतु सिविल न्ययालय में जाना चाहिये । सिविल न्यायालय से ही हक का निराकरण कराया जा सकता है । अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा ने भी अपने आदेश दिनांक 04.08.2016 में तहसीलदार गुढ़ के द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की गई है । मैं अपर आयुक्त, रीवा के आदेश से सहमत हूँ ।

5/ अतएव तहसीलदार गुढ़, जिला–रीवा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.06.2007 एवं अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के द्वारा पारित आदेश 04.08.2016 विधिसम्मत होने से स्थिर रखा जाता है, और आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है । प्रकरण समाप्त किया जावे । अभिलेख दाखिल रिकॉर्ड हो ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य